भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 595
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई 2026

दूरसंचार कंपनियों की रिचार्ज वैधता और उपभोक्ता हित

595. श्री राजकुमार रोतः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दूरसंचार कंपनियों द्वारा रिचार्ज की वैधता की समाप्ति पर इनकमिंग सेवाओं को निलंबित करने की योजना शुरू किए जाने की तिथि सहित दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस नीति के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है, इसका नियामक आधार क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के बाद से प्रत्येक दूरसंचार कंपनी द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है;
(ख) सरकार द्वारा उन उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से दो सिम कार्ड रखने की आवश्यकता होती है और परिणामस्वरूप उन्हें दोनों सिम रिचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है;
(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े और स्पष्ट नियम बनाने का विचार है कि दूरसंचार कंपनियां रिचार्ज की समाप्ति के तुरंत बाद इनकमिंग सेवाएं बंद न करें;
(घ) क्या सरकार का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दूरसंचार शुल्कों में निरंतर हो रही वृद्धि को विनियमित करने और मौजूदा 28 दिनों की वैधता अवधि के स्थान पर 30 दिनों की रिचार्ज वैधता अवधि को अनिवार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दूरसंचार सेवाओं की दरों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। मौजूदा टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

और लीज्ड सर्किट जैसी सेवाओं को छोड़कर मोबाइल और डेटा सेवाओं के लिए टैरिफ फॉरबीयरेंस के अधीन है। प्रचलित विनियामक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, सेवा प्रदाता बाजार की स्थिति और अन्य वाणिज्यिक पहलुओं की अपनी समझ के आधार पर टैरिफ डिजाइन और ऑफर करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा मौजूद है और सरकार की नीतियों और ट्राई द्वारा अधिसूचित विनियामक फ्रेमवर्क के परिणामस्वरूप भारत में मोबाइल सेवाओं के ग्राहकों के लिए टैरिफ सबसे कम में से एक है।

इसके अलावा, ट्राई की विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार, रिचार्ज वैधता की समाप्ति के बाद इनकमिंग सेवाओं को रोकने के लिए कोई विशिष्ट नियामक अधिदेश नहीं है।

(घ) से (ङ) दूरसंचार प्रशुल्क आदेश, 1999 (66 वां और 67 वां संशोधन) के माध्यम से ट्राई ने पहले ही अधिदेशित कर दिया है कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करना होगा जिसकी वैधता तीस दिन होगी। इसके अलावा, प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करनी होगी, जो हर माह की उसी तारीख को नवीकरणीय होगा और यदि ऐसे नवीनीकरण की तारीख किसी महीने में उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंतिम तारीख को माना जाएगा।
